संख्या-19/2016/348/26-3-2016-4(134)/2004 टी.सी.

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 29 जनवरी, 2016

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-3803-04/स0क0/शिक्षा-अ/लखनऊ/2015-16, दिनांक 27.01.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण" के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-500000.00 हजार के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या-80 आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रूपयों में)

अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/ योजना/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान 2015-16	स्वीकृत की जा रही धनराशि 2015-16
राजस्व लेखा 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण- 02-समाज कल्याण- 200-अन्य कार्यक्रम 07-आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य) के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति- 21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन-	500000	500000
योग-	**500000**	**500000**

(रूपये पचास करोड़ मात्र)

(1) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइन्सेसियल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा एवं स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(2)गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत धनराशि एवं चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(3)विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये।

(5) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(6) पूर्व वर्षो में स्वीकृत धनराशियां यदि अभी भी पी0एल0ए0/बैंक खातों एवं पोस्ट आफिसों में जमा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत/प्राप्त होने पर ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किया जाये।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व्यय 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान सं0-80 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-200-अन्य कार्यक्रम-07-आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य) के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्कप्रतिपूर्ति-21-छात्रवृत्तियां एवं छात्रवेतन" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-19/2016/348(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3-कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।

4-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

5-निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

6-गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।